

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-03/विविध-06-340/18/ राँची, दिनांक

-: आदेश :-

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770/वि. दिनांक 31.12.1981 की कंडिका 11 के अनुसार, जल संसाधन विभागान्तर्गत श्री प्रमोद कुमार मालवीय, कनीय अभियंता, खरकई नहर प्रमंडल, चाईबासा को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति के लाभ को एतत् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/आई० डी०/जन्म तिथि/ तत्कालीन पदस्थापन/ प्रथम योगदान की तिथि	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की देय तिथि एवं प्रोन्नत पुन० वेतनमान	औपबंधिक प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति का आदेश	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री प्रमोद कुमार मालवीय/ जे०-5398 ए/20.07.1959 / खरकई नहर प्रमंडल, चाईबासा /03.02.79	03.02.1994 (1640-60-2600 -75-2900)	2277 / 25.11.1998	आगामी पाँच वर्ष प्रोन्नति पर रोक का दण्ड संसूचित।

2. उपर्युक्त कनीय अभियंता के संबंध में अगर यह पाया गया कि प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो प्रदत्त लाभ संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(हेमन्त कुमार भक्त)
संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/जिला कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(हेमन्त कुमार भक्त)
संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, ईचा गालूडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, खरकई नहर प्रमंडल, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(हेमन्त कुमार भक्त)
संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

1822

राँची, दिनांक :-

28/5/19

प्रतिलिपि:-बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हेमन्त कुमार भक्त)
संयुक्त सचिव (प्र०)